

राजस्थान सरकार
निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर-302015
Phone. 0141-2740819, 2740519, 2740613, E-mail :- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ.वी. 2()निगो/बजट/2015-16/

2321

दिनांक:- 17/3/17

जिला कलक्टर
अजमेर।

विषय :- वध से बचाये गौवंश की सहायता हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) का पत्र क्रमांक प. 4(331) वित्त-1 (1)आ.व्य./2015
जयपुर दिनांक 14.03.2017.


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) ने निम्न बजट मद से वध से बचाये गौवंश की सहायता हेतु राशि रु. 03.00 लाख (अक्षरे तीन लाख रूपये मात्र) सीमा तक आपको आहरण एवं वितरण के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

बजट मद मांग सं. 39

- 2403 - पशुपालन
00 -
102 - पशु तथा भैंस विकास
(20) - गोपालन विभाग
(04) - वध से बचाये गौवंश को सहायता
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

उक्त राशि निदेशालय गोपालन ने आई.एफ.एम.एस. से आपको आवंटित कर दी है। इस राशि का आहरण शासन सचिव, गोपालन विभाग के द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशानुसार ही किया जावे। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे एवं प्रत्येक माह में व्यय की गई राशि की जानकारी अंक मिलान हेतु निदेशालय गोपालन को आगामी महीने की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी. 2()निगो/बजट/2015-16/

दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोषागार, अजमेर।
5. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी. 2()निगो/बजट/2015-16/

8314

दिनांक:- 17/3/17

जिला कलक्टर
बाडमेर।

विषय :- वध से बचाये गौवंश की सहायता हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) का पत्र क्रमांक प. 4(331) वित्त-1 (1)आ.व्य./2015
जयपुर दिनांक 14.03.2017.


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) ने निम्न बजट मद से वध से बचाये गौवंश की सहायता हेतु राशि रु. 11.00 लाख (अक्षरे ग्यारह लाख रुपये मात्र) सीमा तक आपको आहरण एवं वितरण के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

बजट मद मांग सं. 39

- 2403 - पशुपालन
00 -
102 - पशु तथा भैंस विकास
(20) - गोपालन विभाग
(04) - वध से बचाये गौवंश को सहायता
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)

उक्त राशि निदेशालय गोपालन ने आई.एफ.एम.एस. से आपको आवंटित कर दी है। इस राशि का आहरण शासन सचिव, गोपालन विभाग के द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशानुसार ही किया जावे। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे एवं प्रत्येक माह में व्यय की गई राशि की जानकारी अंक मिलान हेतु निदेशालय गोपालन को आगामी महीने की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.वी. 2()निगो/बजट/2015-16/

दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
4. कोषाधिकारी, कोषागार, बाडमेर।
5. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बाडमेर।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक